ई.मेल/स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

एफ.3(3)(1)/रोल्स/निर्वा/2013/1943 जयपुर, दिनांक 23 मई, 2013

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर्स) राजस्थान।

विषय : मतदाता सूचियों में महिलाओं एवं युवाओं के नाम पंजीकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ : विभाग का पत्र क्रमांक F.3(3)(1)रोल्स/निर्वा/2013/790 दिनांक 12.03.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत विभाग के संदर्भित पत्र के द्वारा मतदाता सूचियों के हेल्थ चेक अप कर मतदाताओं के लिंगानुपात में सुधार करने हेतु पंजीकरण से शेष महिलाओं का चिन्हिकरण कर आवेदन पत्र प्राप्त कर मतदाता सूची में पंजीकरण करने एवं युवाओं के पंजीकरण में सुधार करने हेतु माह जुलाई 2013 में शैक्षणिक संस्थाओं में कैम्प आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उपरोक्त निर्देशों के क्रम में आप सभी अधिकारियों के प्रयासों से महिलाओं के पंजीकरण करने से राज्य में मतदाताओं के लिंगानुपात में सुधार हुआ है। दिनांक 30.04.2013 तक निरन्तर अद्यतन में राज्य के महिला मतदाताओं का लिंगानुपात 889 हो गया है जबकि यह अन्तिम प्रकाशन के समय 874 ही था। परन्तु जनगणना के मुताबिक महिलाओं का लिंगानुपात 928 है। इन आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभी भी पात्र महिलाएँ पंजीयन से शेष हैं। अतः इस क्रम में अभी भी प्रयास किए जाने हैं।

जैसा कि आपको अवगत कराया जा चुका है कि राज्य में मतदाता सूचियों का दिनांक 1.1.2013 के सन्दर्भ में ही माह जुलाई–अगस्त, 2013 में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और कराया जाना है। इसके लिए 3 जुलाई, 2013 को मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन एवं 28 अगस्त, 2013 को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इस पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन से पूर्व मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित, साफ–सुथरी बनाने एवं इनमें गुणवत्ता में सुधार लाना है।

मतदाता सूचियों में महिलाओं के लिंगानुपात में सुधार के लिए आई.सी.डी.एस. विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर ऑगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से पंजीकरण से शेष पात्र महिलाओं की पुनः पहचान कराए जाने हेतु दिनांक 15 जून, 2013 तक विशेष अभियान चलाया जावे तथा उनकी सूची दिनांक 20 जून, 2013 प्राप्त कर ली जावे।

इस सूची को बूथ लेवल अधिकारियों का उपलब्ध करा कर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान दावे एवं आपत्तियॉ प्राप्त करने की अवधि दिनांक 3 जुलाई, 2013 से 18 जुलाई, 2013 तक उनके प्रार्थना पत्र बूथ लेवल अधिकारियों के मार्फत प्राप्त कर लिए जावें।

निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के दौरान युवाओं के पंजीकरण में सुधार नहीं हुआ है, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने हैं। इस हेतु शैक्षणिक संस्थाओं में आपके नियुक्त नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण माह जून, 2013 में आयोजित कर लिए जावें। पुनरीक्षण के दौरान दावे एवं आपत्तियॉ के प्राप्त करने की अवधि में शैक्षणिक संस्थाओं में नया सत्र प्रारम्भ होने पर मतदाता सूची में पंजीयन से शेष पात्र युवाओं के आवेदन पत्र इन नोडल अधिकारियों के मार्फत प्राप्त कर लिए जावें। इस अवधि में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के द्वारा इन संस्थानों में शिविर भी आयोजित कराया जाना सुनिश्चित करें। इन शिविरों की तिथियों का पूर्व में ही निर्धारित कर प्रचार–प्रसार कराया जावे।

पंजीयन से शेष पात्र महिलाओं एवं युवाओं के पंजीकरण के कार्यक्रमों की मोनिटरिंग स्वयं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जावे।

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।